संख्या-4/2021/59/चालीस/2020-बजट(06)/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त,
मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2021

विषयः- अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2020-21 की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त,मेरठ मण्डल मेरठ के पत्र संख्या-1158/15-245/2016-18, दिनांक 12 फरवरी 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधित विज्ञप्ति संख्या-402/चालीस- 10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा ''पुरस्कार की धनराशि' ' को संशोधित कर रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति संख्या-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गई शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवहित दम्पति को प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मण्डलायुक्त, मेरठ को रू0 13,50,000/- (रूपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि से अन्तर्जातीय विवाह के लाभार्थियों को नियमानुसार रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत$ रा.50 प्रतिशत) -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छायाप्रति के साथ लेखाधिकारी/लेखामिलान प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2021 तक सम्भव हो सके।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0ई-9-12/2021, दिनांक-19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2021/59(1)/चालीस/2020-बजट(06)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
(3) वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर (ऑडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकर लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज।
(4) मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0 प्र0 शासन।
(6) गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,
राजेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।